भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *176

16 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा-विधिक शिकायतों के निपटान हेतु अधिकरण

***176. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई देशों ने चिकित्सा-विधिक शिकायतों के वैज्ञानिक और कुशलतापूर्वक निपटान के लिए चिकित्सा अधिकरण स्थापित किए हैं;

(ख) क्या सरकार देश में चिकित्सा लापरवाही के कथित मामलों की बढ़ती संख्या और इसके समाधान हेतु उचित वैज्ञानिक प्रणाली के अभाव से भी अवगत है;

(ग) क्या सरकार का चिकित्सा-विधिक शिकायतों का समाधान करने के लिए एक वैज्ञानिक तंत्र या चिकित्सा अधिकरण स्थापित करने और ऐसे तंत्रों के बारे में नागरिकों में अधिक जागरूकता बढ़ाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने इसके लिए विधायी ढांचा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) और अन्य हितधारको के साथ परामर्श किया है या ऐसा करने का उसका विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.176 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी)/नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) को अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आरएमपी) द्वारा चिकित्सा लापरवाही सहित किसी भी पेशेवर या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम आरएमपी को उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करता है। एसएमसी/ईएमआरबी के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान भी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (एमओसीए) ने सूचित किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों का सरल और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का प्रावधान है, जिसे उपभोक्ता आयोग के नाम से जाना जाता है। एमओसीए का ई-जागृति पोर्टल 1 जनवरी 2025 से चालू है और यह देश भर के राष्ट्रीय, राज्य, सर्किट बेंच और जिला उपभोक्ता आयोगों के लिए उपभोक्ता संबंधी मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने और प्रबंधित करने के लिए उपलब्ध है। 1 जनवरी 2025 से 12 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से चिकित्सा संबंधी लापरवाही से संबंधित कुल 71 मामलों का निपटारा किया गया है।

*****